भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
मंडलीय संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र),
'ए' विंग, इन्द्रप्रस्थ भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002.
****

नये आयातक-निर्यातक कोड नम्बर के लिए आवेदन करते समय आवेदकों के लिए दिशा निर्देश।

****चेतावनी****

यह देखने में आया है कि कुछ अनैतिक तत्व कार्यालय से आयातक-निर्यातक नम्बर प्राप्त करने के लिए अकारण ही मदद करने का प्रस्ताव करते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सीधे ही काउंटर सहायता (जो कि कार्यालय के प्रवेश कक्ष में ही मौजूद है) अथवा जनसंपर्क अधिकारी से फोन नम्बर 011-23378740 पर सम्पर्क करें।

आयातक-निर्यातक कोड नम्बर क्या है?

आयातक-निर्यातक कोड (जिसे संक्षिप्त में आईईसी कहते हैं) दस अंकों के नम्बर होते है जो कि प्रमाणिक व्यक्ति /कम्पनी को आयात /निर्यात कार्य निष्पादन हेतु वाणिज्य व उघोग मंत्रालय के अन्तर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं (उदाहरण के लिए यहाँ क्लिक करें)

आयातक-निर्यातक कोड कहाँ से प्राप्त करें?

आयातक-निर्यातक कोड विदेश व्यापार महानिदेशालय के किसी भी मंडलीय /क्षेत्रीय कार्यालयों से जिन क्षेत्र/मंडल विशेष में व्यक्ति/कम्पनी स्थित है से प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनके पंजीकृत कार्यालय दिल्ली, गुडगाँव, नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, मेरठ, गाजियाबाद में स्थित है वे अपना आवेदन मंडलीय संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (सीएलए), 'ए' खण्ड, इन्द्रप्रस्थ भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में आवेदन कर सकते हैं।

विधिक प्रावधान

विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के अनुसार

आयातक-निर्यातक कोड़ नम्बर

कोई भी व्यक्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय अथवा महानिदेशक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत जारी आयातक-निर्यातक कोड नम्बर के बिना आयात अथवा निर्यात नहीं कर सकता है।

आयातक-निर्यातक कोड़ की आवश्यकता/उपयोग

आयातक-निर्यातक के लिए भारत सरकार द्वारा आयातक-निर्यातक निर्धारित प्रपत्र मान्य प्राथमिक दस्तावेज है। आयातक-निर्यातक कोड के आधार पर विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमाशुल्क, निर्यात संवर्धन परिषद इत्यादि से अपने आयात-निर्यात हेतु विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते है।

आवेदन प्रकिया

आवेदन पत्र मंडलीय संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (सीएलए) नई दिल्ली कार्यालय में दस्तावेजों सहित (सूची नीचे दी जा रही है) पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र आयातक-निर्यात कोड आवेदन फार्म से डाउनलोड किया जा सकता है।

अनिवार्य दस्तावेज

1. आवरण पत्र

2. आवेदन प्रपत्र के क, ख और घ भाग भरें।

3. आवेदन के साथ नीचे दिए ब्यौरों के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करें-

3.1 आवेदन पत्र के (भाग ख) में दिए गए प्रपत्र के अनुसार बैंक लेटर हैड पर बैंक द्वारा जारी बैंक प्रमाण - पत्र।

(क) स्वामित्वाधिकार फर्म के मामले में, कृपया प्रस्तत करें-

(i) आवेदक की जन्म की तारीख

(ii) पूर्व प्राप्त आयातक-निर्यात कोडों की संख्या ब्यौरों सहित

(ख) कम्पनी के मामले में, कृपया प्रस्तुत करें-

(i) बोर्ड के संकल्प का सार

(ii) फार्म 32 सहित संस्था नियमावली तथा निदेशक परिवर्तन के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र

(ग) अन्य मामलों में

(i) स्थापना तिथि को दर्शाने वाली नोटरी द्वारा प्रमाणित भागीदारी प्रलेख ।

(ii) अन्य साझेदारों /अविभाजीत हिन्दू परिवार से अनापत्ति प्रमाणपत्र।

3.2 आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई खाता संख्या (पैन) की स्वप्रमाणित प्रति।

3.3 आवेदक की पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रतियां। बैंक के प्रमाण -पत्र पर चिपकाई गई फोटोग्राफ आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर सहित बैंक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

4. आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

5. आवेदन पत्र का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

6. स्थानीय डाक के लिए 15/-रू0 की डाक टिकट चिपकाकर स्वंय का पता लिखा लिफाफा/ये दस्तावेज एक फाईल कवर में सुरक्षित रखें जाने चाहिए।

शुल्क

आवेदन पत्र शुल्क 250/-रू. हैं जो कि किसी भी नामित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर मंडलीय संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, सीएलए, नई दिल्ली के पक्ष में भुगतान किया जा सकता है। सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की किसी भी निम्नलिखित नामित शाखा में खजाना रसीद भी स्वीकार की जाती है (उदाहरण के लिए यहाँ क्लिक करें)

1. उघोग भवन, नई दिल्ली-110011
2. 10 सामुदायिक केन्द्र, लारेंस रोड, दिल्ली-110035
3. 18/4, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
4. 55, मधुबनी, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

आवेदन किस प्रकार प्रस्तत करें

आवेदन इस कार्यालय के प्राप्ति एवं प्रेषण काउन्टर पर स्वयं /कम्पनी के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा इसे डाक/कोरियर द्वारा भेजा जा सकता है ।

आवेदन पत्र की प्रक्रिया

आवेदन पत्र इस कार्यालय के काउन्टर पर स्वयं जमा किया जा सकता है अथवा इसे डाक /कोरियर द्वारा भेजा जा सकता है। आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर फाइल नम्बर जैनरेट करके कम्प्यूटर द्वारा पावती दी जाएगी। यह फाईल नम्बर इस कार्यालय में प्रस्तुत आयात -निर्यात कोड नम्बर के आवेदन पत्र के बारे में किसी भी प्रकार की पूछताछ/पत्राचार हेतु प्रयोग किया जा सकेगा। इसके पश्चात कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र को आईईसी अनुभाग में भेज दिया जाता है। आवेदन पत्र सब तरह से पूर्ण हो (निर्धारित अपेक्षाओं सहित) तो आयातक-निर्यातक कोड नंबर जैनरेट कर दिया जाता है अन्यथा कमियों को दर्शाने वाला त्रूटि पत्र आवेदक को भेज दिया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ त्रुटि पत्र जारी किये गये है वहाँ प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा की जाती है और आवेदक द्वारा कमियों को दूर करने के पश्चात आयातक-निर्यातक कोड नम्बर आवंटित कर दिया जाता है।

आयातक-निर्यातक कोड नम्बर जारी करना/ प्रेषित करना

आयातक-निर्यातक कोड आवंटन पत्र आवेदक द्वारा निर्दिष्ट पंजीकृत कार्यालय के पते पर डाक द्वारा भेजा जाता है। इसी प्रकार त्रुटिपत्र भी डाक द्वारा भेजे जाते हैं।

सीएलए की वैबसाईट पर आयातक-निर्यातक कोड नम्बर के आवेदन पत्रों की स्थिति की उपलब्धता

आयातक-निर्यातक कोड आवेदन पत्रों के लिए फाईल संख्या

ऐसे सभी निर्यातकों के लिए जो अपने आवेदन पत्र डाक /कोरियर द्वारा भेजते हैं को फाईल नम्बर जानने के लिए एक नया विकल्प प्रारम्भ किया गया है । आवेदक को फाइल नम्बर प्राप्त करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) डालना पड़ता है।

आयातक-निर्यातक कोड नम्बर आवेदन पत्र की स्थिति

सीएलए की वैबसाईट पर "आयातक-निर्यातक कोड नम्बर आवेदन पत्र की स्थिति " के विकल्प का प्रयोग करके आवेदक आयातक-निर्यातक कोड नम्बर के आवेदन पत्र की स्थिति की जानकारी ले सकता है।

प्रति दिन जारी किये गये आयातक-निर्यातक कोड नम्बर

प्रत्येक दिन जारी किये गये आयातक -निर्यातक कोड नम्बर को वैबसाईट पर "प्रतिदिन जारी किये गये आई.ई.सी" के विकल्प का प्रयोग करके देखा जा सकता है।

आयातक-निर्यातक कोड नम्बर आवेदन पत्रों की फाईल संख्या

ऐसे आवेदक जिन्होंने अवने आवेदन पत्र डाक /कोरियर द्वारा भेजे है। वे आई .ई.सी आवेदन पत्र का फाईल संख्या का विकल्प प्रयोग करके अपने फाईल संख्या की जानकारी ले सकते हौ

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जैनरेट किये गये बिन नम्बर (व्यापार पहचान संख्या) निम्नलिखित में देखे जा सकते हैं।

http://www.dgft.gov.in/dgftcla
http://www.dgft.gov.in/
http://www.icegate.gov.in

किसी भी प्रकार की सहायकता हेतु कृपया संपर्क करें

पीबीएक्स नं. टेलीफान-011-23379111, 23379112, 23379113

ई.मेल.-jdgft-cla@nic.in